न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 06 / 2024

अपीलांट –

1. शोभा खां पुत्र अली मुराद
2. मलुका पुत्री अली मुराद
3. जनत पुत्री अली मुराद
4. चलिमत पुत्री अली मुराद
5. भारखां पुत्र अली मुराद
6. हनीफो पत्नी अली मुराद जाति मुसलमान निवासी दुधिया कला पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. नायब तहसीलदार धोरीमन्ना
2. शंकरलाल पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी नई बॉण्ड तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
3. जीमा खां पुत्र अली मुराद मुसलमान निवासी दुधिया कला पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 435 दिनांक 01.01.2024 जो नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपिल चोधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री विष्णु चोधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 3 नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 27.05.2025

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम दुधिया कलां पटवार मण्डल मांगता तहसील धोरीमन्ना के नामान्तरकरण सं. 435 पर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 01.01.2024 के विरूद्ध दिनांक 25.01.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:35 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा दुधिया के खसरा संख्या 142 कुल रकबा 74.3406 हैक्टेयर बांधी भूमि जीमा खां पुत्र अली मुराद व अन्य सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में थी। उक्त खातेदार ने अपनी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

खातेदारी में दर्ज भूमि का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 2 को कर दिया जिस पर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 435 दिनांक 01.01.2024 पारित किया गया। अपीलांट ने तहसीलदार धोरीमन्ना के उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से निवेदन किया हैं कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा दुधिया के खसरा संख्या 142 कुल रकबा 74.3406 हैक्टर बीघा में आया हुआ हैं। उक्त भूमि मे अपीलांट के पिता व पति अली मुराद का नाम बतौर खातेदार दर्ज था। अली मुराद का स्वर्गवास होने पर अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 03 वारिस बने। उक्त खसरे की भूमि में से करीबन 12.11 बीघा भूमि का बैचान अली मुराद द्वारा बताया गया है। उपरोक्त बेचान होने के समय अपीलांटगण द्वारा एस.डी.ओ. धोरीमन्ना में एक राजस्व वाद 13 / 2023 के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 17 / 2023 प्रस्तुत किया था। जिसमें अपीलांट को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था कि बैचान नहीं करे और राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। उपरोक्त वाद विचारधीन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन विचारधीन रहते और उक्त आवेदन में रिकार्ड की यथास्थिति कायम होते हुए भी उतरदाता संख्या 01 द्वारा उक्त नामान्तरकरण पारित किया गया जो निरस्त योग्य हैं।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत एस.डी.ओ. न्यायालय में उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन को 11.10.2023 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज किया गया था उक्त नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 01.01.2024 को आदेश पारित किया गया था उस वक्त अपीलांट द्वारा न तो वाद प्रस्तुत किया गया न ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तकरण पारित होने के बाद अपीलांट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त वाद को दिनांक 01.01.2024 को पुनः बरामद किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच उपरांत विधिवत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश जारी किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं वाक्याती भूल नहीं होने से अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा दुधिया के खसरा संख्या 142 कुल रकबा 74.3406 हैक्टर बीघा भूमि शोभा खां पुत्र अली मुराद व अन्य सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में थी। उक्त खातेदार ने अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 2 को कर दिया जिस पर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 435 दिनांक 01.01.2024 पारित किया गया। अपीलांट ने तहसीलदार धोरीमन्ना के उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का कथन हैं कि उपरोक्त बेचान होने के समय अपीलांटगण द्वारा एस.डी.ओ. धोरीमन्ना में एक राजस्व वाद 13/2023 के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 17/2023 प्रस्तुत किया था। जिसमें अपीलांट को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था कि बैचान नहीं करे और राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। उपरोक्त वाद विचारधीन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन विचारधीन रहते और उक्त आवेदन में रिकार्ड की यथास्थिति कायम होते हुए भी उतरदाता संख्या 01 द्वारा उक्त नामान्तरकरण पारित किया गया जो निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत एस.डी.ओ. न्यायालय में उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन को 11.10.2023 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज किया गया था उक्त नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 01.01.2024 को आदेश पारित किया गया था उस वक्त अपीलांट द्वारा न तो वाद प्रस्तुत किया गया न ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तकरण पारित होने के बाद अपीलांट द्वारा उक्त वाद को दिनांक 01.01.2024 को पुनः बरामद

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच उपरांत विधिवत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश जारी किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं वाक्याती भूल नहीं होने से अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं। इस संबंध में स्वंय अपीलांट के ही कथन अनुसार अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की घोषणा हेतु राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर (एसडीओ) धोरीमन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व वाद 13/2023 के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 17/2023 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज किया। रेस्पोडेंट सं. 2 को किये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण दिनांक 01.01.2024 को स्वीकृत किया गया हैं तथा इस तिथी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का प्रभावी एवं विधिसम्मत स्थगतन आदेश रेकर्ड पर नहीं था, ऐसे में यदि इस बेचान की अनुपालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं तो इसके विरूद्ध यह अपील विधि अनुसार कतई पोषणीय नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 435 पर पारित आदेश दिनांक 01.01.2024 पूर्णतया विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:35 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर